हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
मुकदमा नम्बर – 160 / 2024
राजकीय उ0प्रा0वि, फतेहसरा बनाम तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अ0धारा 136

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.09.24	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम फतेहसरा तहसील व जिला झुंझुनूं की संस्था सन् 1971 से वर्तमान स्थान पर संचालित चली आ रही है। आवेदक वर्तमान में संस्था प्रमुख है। इस कारण आवेदक संस्था की ओर से संस्था की भूमि के राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती हेतु कानूनी कार्यवाही करने हेतु कानून अधिकृत है। ग्राम फतेहसरा की भूमि गत खसरा नम्बर 22/1 व गत खसरा नम्बर 71/1 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 58/332 रकबा 0.36 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 57/333 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनू के आवंटन आदेशा क्रमांक 412/03/58/राज. 92/6056 दिनांक 11.06.1992 व तहसीलदार भू–अभिलेख संख्या 92 के आदेश दिनांक 08.06.1992 द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 113 के द्वारा आवेदक संस्था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम फतेहसरा को भूमि आवंटन होकर प्राप्त हुई है। आवेदन पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित अनुसार भूमि का आवंटन स्कूल भवन व क्रिड़ा स्थल बाबत हुआ था। राज. उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहसरा की संस्था को भूमि का आवंटन एक ही स्थान पर हुआ था। आवेदक संस्था को भूमि आवंटन दौराने सैटलमेन्ट कार्यवाही हुआ था और आवंटित भूमि का नामान्तकरण संख्या 113 दिनांक 07.08.1992 को जरिये राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल दरामद हो गया था। लेकिन राजस्व रिकार्ड वर्तमान नक्शा शीट में अमल दरामद नहीं हुआ। जिसका अमल दरामद वर्तमान नक्शा शीट में सैटलमेन्ट विभाग द्वारा किया गया था। दिनांक 29.03.2024 को श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनू को ग्राम फतेहसरा की राजकीय भूमि में अतिक्रमण बाबत एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। जिसकी प्रतिलिपि आवेदक की संस्था को भी प्राप्त हुई। शिकायत दिनांक 29.03.2024 की जांच श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के द्वारा शुरू की जाकर अनावेदक को शिकायत के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश होने पर दिनांक 10.05.2024 को अनावेदक द्वारा श्रीमान् नायब तहसीलदार झुन्झुनू को शिकायत में वर्णित खसरा नम्बर बाबत सीमाज्ञान कर तथ्यात्मक रिर्पोट पेश करने हेतु आदेश दिया गया था। जिसकी प्रतिलिपि के जरिय आवेदक संस्था के उच्च विभाग मुख्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी झुन्झुनू को आवेदक संस्था के प्रमुख को सीमाज्ञान के समय उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया था। आवेदन पत्र की मद संख्या 3 लगायत 6 में वर्णित कार्यवाही के दौरान आवेदक संस्था की ओर से संस्था को आवंटित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व वर्तमान नक्शाशीट की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई। तब आवेदक संस्था को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि आवेदक संस्था जहा पर सन् 1971 से भवन व चार दीवारी के साथ संचालित होती आ रही है वह भूमि हाल खसरा नम्बर 58 किस्म गैर मु. चारागाह में स्थित है। जबकि आवेदक संस्था को आवंटित की गई भूमि 58/332 संस्था को क्रिडा स्थल हेतु आवंटित हुई दुसरी भूमि खसरा नम्बर 57/333 के सटकर वर्तमान नक्शाशीट में दर्ज नही होकर संस्था के उत्तर दिशा में वर्तमान राजस्व रिकार्ड के नक्शाशीट में गलत रूप से तरमीम की हुई है। आवेदक संस्था को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 58/332 का अंकन वर्तमान नक्शाशीट में गलत होने पर आवेदक संस्था की ओर से अनावेदक के यहां आवेदक संस्था को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 58/332 का सही अंकन वर्तमान नक्शाशीट में जहा पर संस्था 1971 से संचालित हो रही है उस स्थान पर व वर्तमान में संचालित स्कूल के सटकर संस्था को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 57/333 क्रीडास्थल के भूमि के सटकर वर्तमान नक्शाशीट में, दुरूस्त करने के लिए निवेदन किया गया। तब अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन संस्था को आवंटित भूमि हाल खसरा नम्बर 58/332 का वर्तमान नक्शाशीट में गलत अंकन होने की अनावेदक द्वारा सहमति होने के बावजूद भी अनावेदक को कानून राजस्व रिकार्ड नक्शा शीट दुरुस्त करने का अधिकार नहीं होने का हवाला देकर आवेदक संस्थान को समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में यहां आवेदक संस्था की ओर से संस्था को आवंटन भूमि के गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के बाबत सलाह दी गई। इस कारण आवेदक संस्था की ओर से मौजूदा आवेदन पत्र बाबत नक्शा शीट दुरुस्ति का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। आवेदक संस्था का मौजूदा आवेदन पत्र स्वीकार कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड, (वर्तमान नक्शा शीट) में आवेदक संस्था को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 58/332 रकबा 0.36 हैक्अर का अंकन दुरूस्त कर आवेदक संस्था की भूमि वर्तमान संचालित स्थान भूमि खसरा नम्बर 58 किस्म चारागाह खातेदार राजस्थान सरकार की भूमि में किया जाकर व वर्तमान नक्शाशीट में संस्था को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 58/332 के स्थान पर भूमि खसरा नम्बर 58 किस्म चारागाह की तरमीम कर नक्शा शीट दुरूस्त किये जाने से किसी भी तृतीय पक्षकार के हित प्रभावित नहीं होते है तथा ना ही किसी प्रकार की कोई कानूनी बाधा है। अतः आवेदक संस्था की ओर से आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन है कि आवेदक संस्था का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक संस्था को आवंटित भूमि हाल खसरा न. 58/332 का वर्तमान नक्शाशीट में जहा पर संस्था सचालित है उस भूमि खसरा न. 58 में अंकन किये जाने व जहां पर वर्तमान खसरा नम्बर 58/332 का अंकन है उस भूमि को वर्तमान नक्शा शीट में भूमि खसरा नम्बर 58 किस्म चारागाह खातेदार राजकीय दर्ज करने का आदेश अनावेदक को दिया जाकर भूमि खसरा न. 58 व 58/332 का वर्तमान राजस्व रिकार्ड (वर्तमान नक्शा शीट) दुरूस्त करवाया जावें। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार झुन्झुनू से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक भू0अ0/2024/1560 दिनांक 21.08.2024 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की है, जिसे शामिल मिशल किया गया। पत्रावली पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का अवलोकन किया जाकर बहस वकील प्रार्थी पर बगौर मनन किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। **आदेश** आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 21.08.2024 नक्शा सीट दुरूस्त कर पालना करें। रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू दिनांक 21.08.2024 आदेश का भाग रहेगी। उक्तानुसार तहसीलदार झुन्झुनू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 24.09.2024 को सुनाया गया। [हस्ताक्षर] 24.09.24	

Scanned with OKEN Scanner